नियमावनी (मैनुअल)-07

अनुच्छेद 4(1)(बी)(VII) आम जनता से कार्यालय की नीतियाँ (पॉलिसी) बनाने अथवा उनके कार्यान्वयन के समय किसी स्तर पर विचार-विमर्श या उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की कौन सी व्यवस्था है उसका विवरण :

यह कार्यालय भारत सरकार की विकास नीतियाँ बनाने उनका कार्यान्वयन करते समय नियंत्रक कार्य इत्यादि करते समय राज्य सरकार तथा साथ ही साथ महत्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक संगठनों से सघन सम्पर्क एवं विचार-विमर्श करके कार्य करता है । इसके क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी भारत सरकार की विकास संबंधी विभिन्न नीजियों साथ ही साथ प्रत्येक जन जागरूकता/सरलीकरण कार्यक्रमों/संगोष्ठियोंकार्यशालाओं के अवसर पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय की परामर्शी सेवाओं कार्यालय के कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी, समस्या समाधान क्रियाओं, परियोजना रिपोर्ट आदि की तैयारी की जानकारी आम आदमी को देते हैं ।

आप आदमी वस्त्र उद्योग के समग्र विकास हेतु प्रति पुष्टि (फीडबैक)/नीतिया/योजनाएँ/ गतिविधयों के निर्धारण करते समय उसमें संशोधन करते समय उनके कार्यान्वयन संबंधी सुधार के बारे में अपनी सलाह दे सकता है । हमारे क्षेत्र अधिकारी विभिन्न समितियों में भी हैं ।

बैठके एवं वस्त्र उद्योग के अंश धारकों की बैठक एवं विचार-विमर्श के अलावा कई कारणों से कुछ औपचारिक समिति/बोर्ड का भी गठन किया गया है ।
कुछ प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं :-

1. **अखिल भारतीय विद्युत करघा बोर्ड :-**
   वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसका गठन विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र के समग्र विकास पर नजर रखने के लिए किया गया है । वस्त्र आयुक्त इसके सदस्य सचिव हैं और सभी प्रकार के सचिवीय कार्य इस कार्यालय द्वारा किये जायेंगे ।

2. **रूई सलाहकार बोर्ड :-**
   इस बोर्ड का गठन वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है । यह बोर्ड रूई की फसल, जिनिंग एवं उसकी उपलब्धता आदि का पता लगाता ा है और सरकार को उसके अनुरूप उपयुक्त सलाह देता है ।
3. **वस्त्र उपभोक्ता संरक्षण कार्यान्वयन समिति :-**
   इस समिति का गठन वस्त्र आयुक्त द्वारा वस्त्र उपभोक्ता संरक्षण अधिकार (टी सी पी आर) संबंधित मामलों का ध्यान रखने के लिए किया गया है ।
4. **हैंकयार्न मूल्य मूल्यांकन समिति :-**
   इसका गठन हथकरघा विकास आयुक्त क्षरा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है । स्टॉक (माल) की उपलब्धता जानने एवं हथकरघा क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल हैंकयार्न के मूल्य के बारे में चर्चा करने के लिए यह समिति प्रत्येक तिमाही में बैठक करती है ।

जन सूचना की व्यवस्था (सूचना का अधिकारी अधिनियम-5 के अंतर्गत)